प्रेषक,

समीर,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सहकारी समितियां एवं पंचायत,

लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 22-12-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग के लिए लैपटॉप क्रय किये जने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-59/लेखा-2/2024-25 दिनांक 30.04.2024 एवं पत्र संख्या-102/लेखा-2/2024-25 दिनांक 27.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से भारत सरकार/पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं में 100 प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण एवं समयान्तर्गत ऑनलाइन ऑडिट करने हेतु विभाग में कार्यरत जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा प्रोग्राम लगाना, आर्ब्जवेशन अप्रूव करना तथा ऑडिट टीम निर्दिष्ट करना एवं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षकों द्वारा इंटीमेशन प्रेषित करना, आर्ब्जवेशन प्रेषित करना, ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना तथा ए0टी0आर0 की कार्यवाही करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि रु0 116000000/- के सापेक्ष किये गये व्यय रु0 6495696/- के उपरान्त अवशेष धनराशि से 675 लैपटॉप क्रय किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति के साथ-साथ निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा की अध्यक्षता में निम्नलिखित तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है:-

1-	निदेशक	(अध्यक्ष)
2-	उप निदेशक	(सदस्य)
3-	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0)	(तकनीकी विशेषज्ञ)
4-	आहरण-वितरण अधिकारी, निदेशालय	(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)

2- उक्तानुसार किये गये अनुरोध के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग हेतु 675 लैपटॉप क्रय किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति के साथ-साथ प्रस्तावित तकनीकी समिति के गठन की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रस्तावित लैपटाप का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार/ प्रक्रियानुसार जेम (GEM) पोर्टल पर बिड के माध्यम से किया जायेगा।

(2) क्रय किये जा रहे लैपटाप की गुणवत्ता एवं विशिष्टियां समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरुप होगी।

अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लेखा परीक्षा प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक "लेखा परीक्षक" के पास संसाधनों की अल्पता न होने पाए एवं क्रय किये जाने वाले लैपटॉप का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(4) क्रय के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं लैपटाप की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा की होगी।

भवदीय,

समीर

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

~~अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।